उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
13-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सहारनपुर के तहसील बेहट के गांव लतीफपुर भूंड व नित्यानंदपुर में हो रहे अवैध खनन जिसमें विभाग द्वारा क्रेशरों को एन०ओ०सी० दी जा रही है?	तहसील बेहट के गांव लतीफपुर भूड व नित्यानंदपुर में कुल 04 स्टोन क्रेशरों को भण्डार अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें से एक स्टोन क्रेशर पर माह अप्रैल में 680 घ०मी० का अवैध खनन पाया गया था, जिस पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये दिनांक 29.05.2025 को धनराशि रू० 9,48,800/- सरकारी कोष में जमा कराया गया है।
(ख) गांव लतीफपुर भूंड व नित्यानंदपुर में खसरा नम्बर 24/2, 24, 19 आदि में खनन विभाग द्वारा क्रेशरों को एन०ओ०सी० दी गई है जिससे सटे बागो का कटाव होने से नुकसान होता है जिससे उन क्रेशर मालिकों पर कोई कार्यवाही की गयी है?	खसरा नम्बर 24/2, 24, 19 आदि में खनन विभाग द्वारा एक क्रेशर को उपखनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है। खान निरीक्षक सहारनपुर की आख्या दिनांक 02.08.2025 के अनुसार उक्त खसरा नम्बरों के 500 मीटर के आस पास कोई बाग नहीं है।
(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी है?	लागू नहीं।
(घ) यदि नहीं, तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है तथा उक्त पर कब तक कार्यवाही करायेंगे?	लागू नहीं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।